

विदेशी सहायता

इस अनुबंध में मित्र देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋणों, अनुदानों और वस्तुओं के रूप में मिली सहायता की मात्रा तथा उसके स्वरूप का विवरण संक्षिप्त रूप में दिया गया है। वर्ष 2012-2013 तथा 2013-2014 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2011-2012	बजट अनुमान 2012-2013	संशोधित अनुमान 2012-2013	बजट अनुमान 2013-2014
क. ऋण	26034.39	26047.94	18490.86	27646.27
ख. नकद अनुदान	2873.45	2887.20	2761.62	1456.13
ग. वस्तु अनुदान सहायता	88.89
घ. जोड़ (क+ख+ग)	28996.73	28935.14	21252.48	29102.40
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	13585.88	15899.74	16276.46	17086.17
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	15410.85	13035.40	4976.02	12016.23
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	3501.29	3946.56	4073.23	4276.24
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	11909.56	9088.84	902.79	7739.99

द्विपक्षीय विकास सहयोग नीति के अनुसार जी-8 के सभी देशों नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ के साथ यूरोपीय संघ से द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त की जा रही है।

उन द्विपक्षीय विकास साझेदारों, जिनसे सरकारी स्तर पर विकास सहायता प्राप्त न करने का निर्णय लिया गया है, को सलाह दी गई है कि वे अपनी विकास सहायता भारत में गैर-सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों आदि को प्रदान करने पर विचार करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि वे अपनी विकास सहायता बहुपक्षीय विकास अभिकरणों के माध्यम से देने पर विचार करें।

विभिन्न देशों और संगठनों से जो सहायता मिली है उसका संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) द्विपक्षीय

I. फ्रांस

1. फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डवलपमेंट के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डवलपमेंट हेतु प्राथमिकता क्षेत्र वैश्विक सार्वजनिक सामान के स्थायी प्रबंधन और जैव-विविधता के परिरक्षण में सहायक परियोजनाएं हैं। 2012 के दौरान भारत में दो परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु एएफडी ने 123 मिलियन यूरो की नई वचनबद्धता की।

II. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षणीय प्रयोग, सतत आर्थिक विकास। जर्मनी सरकार ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता हेतु 2012 में 565.8 मिलियन यूरो (लगभग 3,700 करोड़ रु.) की वचनबद्धता की। भारत सरकार और केएफडब्लू (जर्मनी) ने 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) आठ करारों (छह ऋण और दो अनुदान) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी वचनबद्धता की आहरित न की गई राशि ₹ 4,554.60 करोड़ है।

III. इटली

इटली की सहायता से पश्चिम बंगाल में 16 शहरों में 'जलापूर्ति तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन' परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इसमें 25.82 मिलियन यूरो का परिव्यय शामिल है। निधियन एजेंसियों में विभिन्न तरीके अपनाए जाने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ।

IV. जापान

जापान 1958 से भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता, अनुदान सहायता और तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत को सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है।

2. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जेआईसीए ने छह अवसंरचना परियोजनाओं (मेट्रो रेल, फ्रेट कोरीडोर, राजमार्ग और जलापूर्ति परियोजनाएं) के लिए वचनबद्धता की। वर्ष 2012-13 (जनवरी 2013 तक) के दौरान ₹ 54,577.40 करोड़ की अनाहरित वचनबद्धता राशि छोड़कर कुल प्राप्तियों की राशि ₹ 4082.52 करोड़ बैठती है।

V. रूसी परिसंघ

कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना दो यूनिट (2x1000 मेगावाट) की नाभिकीय विद्युत परियोजना है और भारत और रूसी परिसंघ के बीच हस्ताक्षरित एक अंतर सरकारी करार के उपबंधों के अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुंडनकुलम में बनायी जा रही है। करार के अनुसार रूसी परिसंघ ने 2600 मिलियन अमरीकी डालर का सरकारी ऋण दिया है।

VI. यूनाइटेड किंगडम (यूके)

यह सहायता स्वास्थ्य, शिक्षा, स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में मुख्यतः मिलेनियम विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्राप्त की जाती है। यू.के. से सहायता वित्तीय अनुदानों और तकनीकी सहयोग के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी परियोजनाओं में प्रवाहित होती है। वर्तमान में ओड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहां अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग अपनी सहायता दे रहा है।

2. वर्तमान में डीएफआईडी की सहायता से 18 परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान भारत सरकार और डीएफआईडी के बीच 2 नए अनुदान करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे और डीएफआईडी से कुल संवितरण ₹ 982.81 करोड़ बैठता है।

VII. संयुक्त राज्य अमरीका

भारत को संयुक्त राज्य अमरीका की द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई। यह सहायता मुख्यतया अमरीकी अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी (यूएसएड) के मार्फत संचालित होती है। यूएसएड भारत सरकार के साथ स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढीकरण; खाद्य सुरक्षा देने वाली प्रतिकृति योग्य मॉडलों का विकास करने; उत्सर्जन घटाने को गति देते हुए अर्थव्यवस्था सुरक्षित करना; वनों द्वारा कार्बन पृथक्करण के माध्यम से ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करना; जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनने के लिए व्यक्तियों और समुदायों की मदद करना और अध्यापकों के प्रशिक्षण के माध्यम से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विकास का भागीदार है। वर्ष 2012-13 के दौरान (जनवरी, 2013 तक) अनुदानों के रूप में यूएसएड से कुल प्राप्तियाँ ₹ 23.61 करोड़ बैठती है।

ख. बहुपक्षीय

I. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई समग्र विदेशी ऋण प्रबंधन नीति के जरिये भारत एशियाई विकास बैंक से उधार लेता है। एडीबी द्वारा दिया गया ऋण मुख्यतया अवसंरचना, वित्तीय पुनर्संरचना/सूक्ष्म वित्त और कृषि क्षेत्र में होता है। वर्तमान में एडीबी बहुपक्षीय एजेंसियों में दूसरा सबसे बड़ा विकास भागीदार है। वर्ष 1986 के बाद से एडीबी से भारत को संचयी ऋण सहायता अमरीकी डालर के मूल्य में 27.232 बिलियन डालर बैठती है। वर्तमान में 69 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2012-13 (जनवरी 13 तक) के दौरान एडीबी से ₹ 24518 करोड़ के अनाहरित वचनबद्ध ऋणों के चलते संवितरण ₹ 3971.27 करोड़ बैठता है।

II. यूरोपीय संघ (ईयू)

यूरोपीय संघ (ईयू) 1976 से भारत को विकास सहयोग सहायता प्रदान कर रहा है। यह सहायता पूर्णतः अनुदान के रूप में है। स्वास्थ्य और शिक्षा भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय विकास सहयोग के लिए दो प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

2. ईयू देशीय कार्यनीति दस्तावेज के जरिए विकास सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। देशीय कार्यनीति दस्तावेज भागीदार देश की नीतिगत कार्यसूची पर यूरोपीय संघ के उद्देश्य और देश/क्षेत्र की स्थिति के विश्लेषण पर आधारित होता है। देशीय कार्यनीति दस्तावेज सामान्यतया निरंतर दो बहु-वार्षिक निर्देशात्मक बहुवार्षिक निर्देशात्मक कार्यक्रम - (ii) हेतु समझौता ज्ञापन यूरोपीय संघ और भारत के बीच 22 फरवरी 2011 में हस्ताक्षरित हुआ था। बहुवार्षिक निर्देशात्मक - (ii) 210 मिलियन यूरो की कुल वचनबद्ध राशि में से शिक्षा क्षेत्र के लिए 100-130 मिलियन यूरो स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 50 मिलियन यूरो और संयुक्त कार्य योजना के लिए 30-60 मिलियन यूरो होंगी।

III. वैश्विक निधि संगठन

यह वैश्विक निधि वैश्विक सरकारी/निजी भागीदारी है जो एचआईवी/एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन आकर्षित करने और उनके संवितरण के लिए समर्पित है। सरकारों, सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और प्रभावित समुदायों के बीच भागीदारी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के लिए

एक नए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक निधि इन तीन बीमारियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रयासों को सहायता देने हेतु अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संगठनों के निकट सहयोग से कार्य करती है। इस अवधि में वैश्विक निधि का चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वैश्विक निधि में ₹ 643.89 करोड़ संवितरित किए हैं। वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया का मुकाबला करने के कार्यक्रमों हेतु वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बन गई है।

IV. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों, गैर-ऋण सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर मध्यम आय वाले देशों और ऋण प्राप्त करने के योग्य निर्धन देशों में गरीबी को कम करना है।

2. भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी से सहायता मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं (विद्युत क्षेत्र तथा सड़कें) हेतु प्रयोग की जाती है। वर्तमान में 55 परियोजनाएँ आईबीआरडी की सहायता से कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, दो नई परियोजनाओं पर विचार किया गया है। वर्ष 2012-13 में आईबीआरडी से कुल संवितरण की राशि ₹ 33,977.96 करोड़ की अनाहरित वचनबद्ध राशि के साथ ₹ 3,044.73 करोड़ रही।

V. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक का रियायती सहयोगी है और बैंक के गरीबी उन्मूलन अभियान को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथापि, 1 जुलाई, 2011 से आईडीए ने अपनी उधार देने की शर्तों में परिवर्तन कर दिया है। अब ऋणों पर 1.25 प्रतिशत ब्याज तथा संवितरित राशि पर वार्षिक 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार लगता है। भारत को आईडीए सहायता 1961 में शुरू हुई। वर्तमान में आईडीए ऋण विदेशी (सोवरेन) ऋण पोर्टफोलियों का सबसे बड़ा स्टॉक होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान (जनवरी 2013 तक), भारत सरकार और आईडीए के बीच 7 नये करारों पर हस्ताक्षर किये गए। इस समय, 64 परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान आईडीए से संवितरण की राशि ₹ 36,972.12 करोड़ की अनाहरित वचनबद्ध राशि सहित ₹ 2,932.53 करोड़ रही।

VI. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी।

2. 1979 से आईएफएडी में कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 797.3 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) की प्रतिबद्धता सहित 25 परियोजनाओं को सहायता दी है। इनमें से 15 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। इस समय 378.8 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता से 10 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

VII. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास सहयोग का सबसे बड़ा माध्यम है। यूएनडीपी का समग्र मिशन गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरणीय रक्षा को प्राथमिकता देकर स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कार्यक्रम वाले देशों की सहायता करना है। यूएनडीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली समूची सहायता अनुदान सहायता के रूप में होती है।

2. यूएनडीपी संसाधनों का देश-विशिष्ट आवंटन देश सहयोग ढांचे (सीसीएफ) के अन्तर्गत प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाता है। जो सामान्यतः भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का समकालिक होता है। मौजूदा देश कार्यक्रम में मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र विकास रूपरेखा करार (यूएनडीएएफ) के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे लोकतांत्रिक अभिशासन, गरीबी न्यूनीकरण, एचआईवी और विकास, आपदा जोखिम प्रबंधन और ऊर्जा व पर्यावरण नामक लक्ष्यों पर केंद्रित होगा। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक रूप से पिछड़े सात राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओड़ीशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होगा।

3. अगला देश कार्यक्रम (2013-17) जिसे यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड ने अनुमोदित किया है, में 243.4 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय का अनुमान है तथा जिसमें से स्थायी संसाधन का लक्ष्य 49 मिलियन अमरीकी डालर और अस्थायी संसाधन का 194.4 मिलियन अमरीकी डालर रखा गया है।